

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधायी एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1994 / भाद्रपद 5, 1916 ॥शक॥

संख्या 114.

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जिला नई दिल्ली का दिनांक 24. 8. 94 का निम्नलिखित पत्र 25 अगस्त, 1994 को प्राप्त हुआ :-

" श्री शोएब इकबाल, सदस्य विधान सभा को उनके अन्य समर्थकों सहित 24 अगस्त, 1994 को दोपहर 1.40 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने पुलिस अधिकारी के कानून सम्मत आदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अधीन नज़रबन्द किया गया तथा पुलिस थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली ले जाया गया ।

श्री इकबाल को उसी दिन अर्थात् 24 अगस्त, 1994 को दोपहर 2.30 बजे रिहा कर दिया गया ।

इसी तरह श्री परवेज हाशमी को उनके अन्य समर्थकों सहित पुलिस अधिकारी के कानून सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के लिये पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 24. 8. 94 को 1.55 बजे नज़रबन्द किया गया ।

श्री हाशमी को भी उसी दिन अर्थात् 24 अगस्त, 1994 को 3.00 बजे रिहा कर दिया गया ।"

संख्या 115.

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पश्चिमी जिला दिल्ली का दिनांक 25. 8. 94 को निम्नलिखित पत्र 25. 8. 94 को प्राप्त हुआ था :-

" सर्वश्री जय किशन, राज कुमार चौहान, टेक चन्द शर्मा, मुकेश शर्मा, विधायकों को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अधीन दोपहर 3.15 बजे किराड़ी गाँव में एस. डी. एम. कोतवाली द्वारा ग्राम सभा की ज़मीन पर मकानों को गिराए जाने के कार्यक्रम का विरोध करने के लिये नज़रबन्द किया गया । उन्हें पुलिस थाना अशोक विहार लाया गया और उसी दिन सायं 5.40 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
तयिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Friday, August 26, 1994/Bhadra Pad 5, 1916 (Saka)

No.114.

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 24.8.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Additional Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 25th August, 1994 :-

".....Shri Shoib Iqbal, M.L.A., alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police, Act, 1978 at 1.40 P.M. on 24th August, 1994 for disobeying the lawful directions of Police Officer opposite Police Station Parliament Street, New Delhi and was taken to P.S., Mandir Marg, New Delhi.

Shri Iqbal was released at 2.30 P.M. the same day i.e. 24th August, 1994.

Similarly Shri Parvej Hashmi, M.L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 1355 hrs. on 24.8.94 for not obeying the lawful directions of Police Officer.

Shri Hashmi was also released at 1500 hrs. the same day i.e. 24th August, 1994."

No.115.

The following communication dated 25.8.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North-West District, Delhi was received on 25th August, 1994 :-

".....Sarvashri Jai Kishan, Raj Kumar Chauhan, Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma, M.L.As alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 3.15 P.M. on 24.8.1994 in protest to demolition programme being carried out by S.D.M., Kotwali at village Kirari on Gram Sabha land. They were brought to P.S. Ashok Vihar, Delhi, and were released at 5.40 P.M., the same day."

P.N. GUPTA  
SECRETARY